राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक/क–2/19 जयपुर, दिनांकः 24 FEB 2020

1 समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः– रोस्टर पंजिका संधारित किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमशः क्रमांक एफः 15(24)कार्मिक/क–2/75 दिनांक 20.11.1997 एवं एफः 7(2)कार्मिक/क–2/19 दिनांक 29.03.2019 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट WWW.DOP.Rajasthan.Gov.IN पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधी/पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण रोस्टर संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देशक सिद्धांत जारी किये गये है।

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना नहीं की जा रही है तथा रोस्टर पंजिकाएं भी संधारित नहीं की जा रही है। चूंकि उक्त सिद्धांत/निर्देश विभिन्न वर्गों के आरक्षण प्रतिशत को त्रुटिरहित संचालित किये जाने में सहायक के रूप में कार्य करते है, लेकिन रोस्टर पंजिका के संधारण के अभाव में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के समय आरक्षण प्रावधानों की पालना किये जाने में समस्याएं आती है तथा न्यायिक विवाद भी उत्पन्न होते है, जिसके मध्यनजर यह आवश्यक है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार रोस्टर पंजिकाओं का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाये। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए पृथक–पृथक रोस्टर पंजिकाएं संधारित की जानी है। एक सामान्य भ्रान्ति यह है कि पद आधारित (Post based) आरक्षण व्यवस्था लागू होने के पश्चात् रोस्टर पंजिका संधारित किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के समय किसी भी वर्ग के पदों की गणना उस संवर्ग में उस वर्ग के कुल पदों एवं विद्यमान प्रतिनिधित्व के आधार पर की जानी है। यह धारणा उचित नहीं हैं। समय–समय पर कतिपय वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान प्रावधित होने के फलस्वरूप, प्रचलित रोस्टर बिन्दु भी परिवर्तित हो जाते है। इसके अलावा विभिन्न क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों यथा महिला, भू.पू. सैनिक आदि के लिए आरक्षण रिक्ति आधारित (Vacancy based) होता है।

रोस्टर उन सभी व्यक्तियों का चल लेखा (Running Account) बनाए रखेगा जो सेवा में सम्मिलित होते हैं। अतः रोस्टर पंजिका संधारित होने पर किसी संवर्ग में किसी समय विशेष पर कार्यरत अधिकारियों के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति एक ही स्थान पर सुस्पष्ट रूप से उपलब्ध होना संभव होगा।

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

तदनुसार समस्त प्रशासनिक विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु रोस्टर पंजिका के प्रारूप निम्नानुसार जारी किये जा रहे है :

रोस्टर पंजिका

1. पदनामः
2. भर्ती की रीतियांः सीधी (DR)/पदोन्नति (PR) के माध्यम से
3. कॉडर में पदों की संख्या (अर्थात् कॉडर स्ट्रेन्थ):
4. आरक्षण का प्रावधित प्रतिशतः अ.ज.जा (SC).........,अ.जा (ST)..........,पि.व (BC).......,
   अति.पि.व (MBC)..........,आ.क.व (EWS) {सीधी भर्ती में};
   अ.ज.जा (SC)......... एवं अ.जा (ST).......... {पदोन्नति भर्ती में}

सीधी भर्ती के लिए:

पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)			की गई भर्ती का विवरण				अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ.जा.	अ.ज.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दु संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व/आ.क.व के लिए आरक्षित हैं	नियुक्त व्यक्ति का नाम तथा नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व./आ.क.व. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे	अ.जा.	अ.ज.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सीधी भर्ती में 20 पदों तक के लघु संवर्गों में एल–शेप रोस्टर (L-Shape roster) लागू होगा, जिसका प्रपत्र भी उपर्युक्तानुसार ही होगा तथापि रोस्टर पंजिका में प्रतिस्थापन बिन्दुओं (Replacement points) अर्थात क्षैतिज बिन्दुओं को अन्तिम प्रारम्भिक बिन्दु के पश्चात् लम्बवत् ही दर्शाया जायेगा। उदाहरणार्थ सीधी भर्ती के 10 पदों के संवर्ग हेतु एल–शेप रोस्टर (L-Shape roster) निम्नानुसार संधारित किया जायेगा :

पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)			की गई भर्ती का विवरण				अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ.जा.	अ.ज.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दु संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व/आ.क.व के लिए आरक्षित हैं	नियुक्त व्यक्ति का नाम तथा नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व./आ.क.व. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे	अ.जा.	अ.ज.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1	अनारक्षित (UR)						
			2	अनारक्षित (UR)						
			3	अनारक्षित (UR)						
			4	अनारक्षित (UR)						
			5	पिछड़ा वर्ग (BC)						

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

			6	अनारक्षित (UR)						
			7	अ.जा (SC)						
			8	अनारक्षित (UR)						
			9	अ.ज.जा (ST)						
			10	पिछड़ा वर्ग (BC)						
			प्रतिस्थापन बिन्दु							
			प्रथम	आ.क.व. (EWS)						
			द्वितीय	अनारक्षित (UR)						
			तृतीय	अ.जा. (SC)						
			चतुर्थ	अनारक्षित (UR)						
			पंचम	पिछड़ा वर्ग (BC)						
			षष्ठम	अनारक्षित (UR)						
			सप्तम	अ.ज.जा (ST)						

<u>पदोन्नति से भर्ती के लिए:</u>

पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)			की गई भर्ती का विवरण				अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ.जा.	अ.ज.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दु संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए आरक्षित है	नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./ अ.ज.जा. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे	अ.जा.	अ.ज.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

पदोन्नति में केवल अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) को आरक्षण देय होने के कारण 8 पदों तक के लघु संवर्गों में एल–शेप रोस्टर (L-Shape roster) लागू होगा, जिसका प्रपत्र भी उक्तानुसार ही रहेगा तथापि प्रतिस्थापन बिन्दु (replacement points) अर्थात् क्षैतिज बिन्दु रोस्टर के अन्तिम प्रारम्भिक बिन्दु के पश्चात् लम्बवत रूप से दर्शाये जायेंगे। उदाहरणार्थ तीन पदों के कॉडर की पदोन्नति में रोस्टर पंजिका का संधारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)			की गई भर्ती का विवरण				अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ.जा.	अ.ज.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दु संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए आरक्षित है	नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./ अ.ज.जा. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे	अ.जा.	अ.ज.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1	अनारक्षित (UR)						
			2	अनारक्षित (UR)						
			3	अनारक्षित (UR)						

			प्रतिस्थापन बिन्दु							
			प्रथम	अनारक्षित (UR)						
			द्वितीय	अनारक्षित (UR)						
			तृतीय	अनारक्षित (UR)						
			चतुर्थ	अ.जा. (SC)						
			पंचम	अनारक्षित (UR)						
			षष्ठम	अ.ज.जा (ST)						

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों/संबंधित को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने विभाग में समस्त संवर्गों हेतु उपर्युक्त निर्दिष्टानुसार रोस्टर पंजिकाओं का संधारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

19/2020